

उपस्थिति — श्री गौरी शंकर

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमराँव

स्वत्व वाद सं० — 601 / 2016

सी०आई०एस० — 16 / 2001

काशीनाथ पाण्डेय वगै०वादीगण ।

बनाम्

बिहार सरकारप्रतिवादी ।

आदेश

28.08.2025

उभय पक्षों की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 28.08.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 धारा 151 सी०पी०सी० को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के वादी सं० 04(क) स्व० ओम प्रकाश पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 06.09.2024 को हो चुकी है। अनुरोध करते हैं कि मृत वादी सं० 04(क) स्व० ओम प्रकाश पाण्डेय का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा मृत वादी सं० 04(क) के वारीसान अनिता देवी, खुशी कुमार, अंकिता कुमारी का नाम मृत वादी सं० 04(क) स्व० ओम प्रकाश पाण्डेय के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय जो न्यायहित में अति आवश्यक है। वादी द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षांत करने हेतू दफा 05 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अनुरोध करते हैं कि आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधि को माफ करते हुए उक्त आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज है। वादी द्वारा उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है परन्तु बिलम्ब से दाखिल किया गया है अतः वादी द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधि को दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत क्षांत किया जाता है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 28.08.2025 अंतर्गत आदेश

उपस्थिति — श्री गौरी शंकर

लगातार

28.08.2025

22 नियम 03 धारा 151 सी०पी०सी० को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। मृत वादी सं० 04(क) स्व० ओम प्रकाश पाण्डेय का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा इनके वारीसान अनिता देवी, खुशी कुमार, अंकिता कुमारी का नाम मृत वादी सं० 04(क) स्व० ओम प्रकाश पाण्डेय के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक—25.09.2025 वास्ते प्रतिवादी साक्षी सं० 02 का शेष साक्ष्य हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमराँव (बक्सर)